

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी—

रामरतन साँकरिया  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

61/2025 प्रा.पत्र/2025

26.06.2025

07.08.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण,  
टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री मनोहर लाल सिन्धी पुत्र श्री नारुमल सिन्धी एफ.बी.ओ. मैसर्स गोरधन इण्डस्ट्रीज रीको  
क्षेत्र मालपुरा जिला टोंक (राज0)। निवासी गोरधन भवन व्यास मार्ग मालपुरा जिला  
टोंक राज0। पिनकोड-304502 मोबाईल नं0 9414439790

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री मनोहर लाल सिन्धी स्वयं उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 07/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.04.2025 को समय 01:30 पी.एम. पर मैसर्स गोरधन इण्डस्ट्रीज रीको क्षेत्र मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री मनोहर लाल सिन्धी पुत्र श्री नारुमल सिन्धी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स गोरधन इण्डस्ट्रीज रीको क्षेत्र मालपुरा जिला टोंक पर कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मनोहर लाल सिन्धी पुत्र श्री नारुमल सिन्धी को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मनोहर लाल सिन्धी पुत्र श्री नारुमल सिन्धी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री मनोहर लाल सिन्धी की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु निर्माण ईकाई में खाद्य बर्फ (Edible Ice Made by Potable Water) खाद्य बर्फ का निर्माण किया जा रहा था, निर्माण ईकाई में 60 इडिबल आईस बॉक्स में लगभग 70-70 किलोग्राम की सिल्ली खाद्य बर्फ (Edible Ice Made by Potable Water) वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक सुरक्षा न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मनोहर लाल सिन्धी पुत्र श्री



AdL  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

नारुमल सिन्धी को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मनोहर लाल सिन्धी पुत्र श्री नारुमल सिन्धी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तरदीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि **खाद्य बर्फ (Edible Ice Made by Potable Water)** निर्माण इकाई में 60 इडिबल आईस बॉक्स में लगभग 70-70 किलोग्राम की बर्फ की सिल्ली **खाद्य बर्फ (Edible Ice Made by Potable Water)** में से 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **खाद्य बर्फ (Edible Ice Made by Potable Water)** 2 किलोग्राम को प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में अलग-अलग 4 भागों में प्रत्येक शिशी में 500-500 ग्राम भरकर प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40-40 बूंदे डालकर अच्छी तहर हिलामिलाकर शिशियों को ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट किया, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4337 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4337 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/640 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0/1810/एक्ट/2025/1804 दिनांक 06.05.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया



प्रतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट  
टोंक

गया खाद्य बर्फ (Edible Ice Made by Potable Water) एफ.एफ.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री मनोहर लाल सिन्धी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस खाद्य बर्फ (Edible Ice Made by Potable Water) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया खाद्य बर्फ (Edible Ice Made by Potable Water) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



निर्णय आज दिनांक 07/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0